


<p>तारीख हुवम</p>	<p>हुवम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>पत्रावली में 'वादीगण' द्वारा प्राथमिक पत्र पर 08/09/25 को वाद प्रकरण सं. 118/2024 में परस्पर मध्य राजीनामा हो जाने से वाद प्रकरण को विट्टी करने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर पत्रावली को सींगह से हलब की गई। पत्रावली का एवं प्राथमिक पत्र का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण एवं वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण एवं वादीगण ने वाद पत्र को विट्टी करता स्वीकार किया गया। इसलिए वादीगण का प्राथमिक पत्र बाबर वाद विट्टी का स्वीकार किया जाता है। तथा वाद प्रकरण को विट्टी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादीगण द्वारा वाद विट्टी करने से वाद पत्र अनुमति द्वारा 28 188 काश्मिरी अधिनियम को स्विकार किया जाता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ प्राथमिक पत्र अनुमति द्वारा 212 आर.थी.ए का प्राथमिक पत्र भी पेश किया गया जिसका प्रकरण संख्या 48/2024 डेकर दिनांक 15.10.20 प्रमाणित कर दिया गया जिसमें उपनिर्देश विपक्षी को मुख्य वाद के मिश्रण होने तक राजस्व शेड्यूल की प्रचारित बनावे रखने का आदेश पारित किया गया था। वादीगण द्वारा वाद पत्र को विट्टी करने से वाद प्रकरण को विट्टी किया जा चुका है। एसी स्थिति में प्राथमिक पत्र प्रकरण संख्या 48/2024 का कोर्ट प्रभाव नहीं रहे। मिथि अनुमति प्राप्त। पत्रावली केसल डेकर नम्बर लेकम हो।</p>	<p>पारस सुंदर कैलाश</p> <p>नि. 2 अण्डाई म. 100 कैलाश</p> 



08/09/25  
अण्डाई अधिकारी  
गुंगला  
जिला-चित्तौड़गढ़